

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक: 26-02-2020


:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अभिभाषकगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर, में फौजदारी प्रकरणों की पैरवी हेतु उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक के पद पर मासिक रिटनेरशिप राशि रूपये 22,700/-रु पर अग्रिम आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	एनरोलमेन्ट नम्बर
01	श्री रियासत अली खान	आर/2307/2001
02	श्री श्याम प्रकाश शर्मा	आर/486/1976


1. उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक का मुख्यालय जयपुर होगा।
2. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये समस्त प्रकृति के फौजदारी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे।
3. वे उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना महाधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशानुसार करेंगे।
4. वे अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2018 में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेंगे।
5. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
6. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्तागण।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/ वाद/ 08, पार्ट

जयपुर दिनांक: 26.02.2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अभिभाषकगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में फौजदारी प्रकरणों की पैरवी हेतु उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक के पद पर मासिक रिटनेरशिप राशि रुपये 22,700/-रु पर अग्रिम आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	एनरोलमेन्ट नम्बर
01	श्री रियासत अली खान	आर/2307/2001
02	श्री श्याम प्रकाश शर्मा	आर/486/1976

1. उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक का मुख्यालय जयपुर होगा ।
2. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये समस्त प्रकृति के फौजदारी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे ।
3. वे उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना महाधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशानुसार करेंगे ।
4. वे अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2018 में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेंगे ।
5. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे ।
6. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे ।

आज्ञा से,

ह0

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/ निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/ निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/ मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि ।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ जिलाधीश/ विभागाध्यक्ष/ सचिवालय के समस्त विभाग ।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर ।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच ।
5. राजकीय अधिवक्ता/ गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/ जोधपुर ।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली ।
7. संबंधित अधिवक्तागण ।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर ।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/ संयुक्त विधि परामर्शी/ उप विधि परामर्शी ।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग ।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
18. रक्षित पत्रावली ।

ह0

(हुकम सिंह राजपुरोहित)

शासन सचिव, विधि